भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *308
उत्तर देने की तारीख: 10.08.2023

नेशनल एससी/एसटी हब एक्शन प्लान

†***308. श्री अरूण सावः**
श्री मोहन मंडावीः

क्या **सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों से सरकारी खरीद में वृद्धि करने के लिए नेशनल एससी/एसटी हब एक्शन प्लान के अंतर्गत कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना के विभिन्न हितधारकों का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएससीएफडीसी) द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है;

(ग) क्या सरकार ने बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नए उभरते छोटे उद्यमियों की सहायता के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता के अलावा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नारायण राणे)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 10.08.2023 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *308 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): जी हाँ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों में उद्यमशीलता बढ़ाने तथा सूक्ष्म और मध्यम उद्यम,भारत सरकार के लिए लोक प्रापण नीति के अंतर्गत एससी/एसटी एमएसई से 4 प्रतिशत खरीद के अधिदेश को पूरा करने के लिए अक्टूबर,2016 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख): इस योजना के हितधारकों में बैंक, प्रशिक्षण संस्थान, सीपीएसई और उद्योग संघ शामिल हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफडीसी) विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में नि:शुल्क स्टाल प्रदान करके विपणन सुविधा प्रदान कर रहा है। साथ ही, एनएसआईसी और एनएससीएफडीसी के बीच 27.06.2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है ताकि डेटाबेस साझा करने के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की सहायता की जा सके, उन्हें क्रेडिट और गैर-क्रेडिट आधारित स्कीमों का लाभ लेने में मदद मिल सके और संयुक्त जागरूकता और आउटरीच कार्यकलापों का आयोजन किया जा सके।

(ग) एवं (घ): सरकार ने नए उभरते अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए पहल की है जैसे कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रथम बारगी निर्यातकों का क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) स्कीम। इस स्कीम के तीन प्रतिपूर्ति घटक हैं: (i) निर्यात संवर्धन परिषदों का सदस्यता शुल्क, (ii) निर्यात के लिए बीमा प्रीमियम, (iii) परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन पर शुल्क।

वित्तीय सहायता के अलावा, एससी/एसटी उद्यमियों सहित एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं:

(i) लाभों के दायरे को बढ़ाने के लिए एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड।
(ii) दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों को शामिल करना।
(iii) एमएसएमई को औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत लाने और उन्हें औपचारिक ऋण तक पहुंच बनाने में सहायता करने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल।
(iv) विलंब से भुगतान के मुद्दे की निगरानी और निपटान के लिए समाधान पोर्टल।
(v) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा खरीद की निगरानी के लिए संबंध पोर्टल।
(vi) शिकायतों का निवारण करने और विभिन्न प्रकार के सवालों वाले एमएसएमई के पथ-प्रदर्शन के लिए जून, 2020 से ऑनलाइन चैंपियंस पोर्टल।
(vii) एनएसआईसी का एमएसएमई ग्लोबल मार्ट, एनएसआईसी का एक बी2बी पोर्टल है जो सूचना मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करता है।
(viii) एमएसएमई को विकास पूंजी प्राप्त करने में सहायता करने के लिए आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि।
(ix) इनोवेटिव स्कीम शुरू की गई है जिसमें तीन घटक हैं अर्थात् इनक्यूबेशन; डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)।
(x) प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायता के लिए सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम।

****

अनुबंध

"राष्ट्रीय एससी/एसटी हब कार्य योजना" के संबंध में दिनांक 10.08.2023 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *308 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

इस मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) योजना के लिए नोडल एजेंसी है। इस योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कई कदम उठाए गए हैं जैसे कि जागरूकता अभियान, कौशल और क्षमता निर्माण कार्यक्रम; विशेष विक्रेता विकास कार्यशालाएं, संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए संस्थागत वित्त पर 25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ विशेष ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से ऋण की सुविधा, विशेष बाजार सहायता स्कीम (एसएमएएस) के माध्यम से बाजार संपर्क (घरेलू और विदेशी प्रदर्शनियों में भागीदारी), एनएसआईसी की एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए सब्सिडी आदि, जेम, ई-खादी, ट्राइफेड, ट्राइब्स इंडिया, एमएसएमई मार्ट जैसे सरकार द्वारा संवर्धित ई-कॉमर्स पोर्टलों में नामांकन के लिए सब्सिडी । जमीनी स्तर पर पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए, देश भर में विभिन्न स्थानों पर 15 एनएसएसएच कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कौशल प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी केन्द्रों और टूल रूम, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), एनएसआईसी के प्रौद्योगिकी केन्द्रों और केन्द्रीय पेट्रो रसायन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) जैसे संगठनों को शामिल कर रहा है। विशेष ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी के लाभों से उनको अवगत कराने के लिए बैंक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई से खरीद की निगरानी के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के साथ नियमित समीक्षा बैठकें और लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करना। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को निविदा बोली में प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करने और सीपीएसई तथा सरकारी मंत्रालयों द्वारा खरीद में वृद्धि करने के लिए इन सभी पहलों का अनुसरण किया जा रहा है। सार्वजनिक खरीद वर्ष 2015-16 में 99.37 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1472.80 करोड़ रुपये हो गई है।